327

संख्याः /XVIII(II)/2013-01(01)/2012

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः २५ अप्रैल, 2013

विषयः-मै0 काशीपुर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं फ्रेट टर्मिनल प्रा0लि0, नई दिल्ली को औद्योगिक प्रयोजन हेतु ग्राम सांडखेड़ा, दोहरी परसा एवं बरखेड़ा राजपूत, परगना व तहसील काशीपुर, जनपद उधमसिंहनगर में कुल 16.179 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-4198/सात-स0भू0अ0/2012 दि0-1.8.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मै0 काशीपुर इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं फ्रेट टर्मिनल प्रा0लि0, नई दिल्ली को औद्योगिक प्रयोजन हेतु ग्राम सांडखेड़ा, दोहरी परसा एवं बरखेड़ा राजपूत, परगना व तहसील काशीपुर, जनपद उधमसिंहनगर में कुल 16.179 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति, औद्योगिक विकास विभाग की सहमति एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 154(2) तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003, की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत, आपके द्वारा संस्तुत खाता/खसरा संख्याओं के अधीन निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- केता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2- केता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन, औद्योगिक अवस्थापना सुविधा (Rail Linked ICD/CFS की स्थापना) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

.....2

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल उद्योगो के लिये औद्योगिक अवस्थापना सुविधा के प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।

7– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुये निर्माण का प्लान सीड़ा/विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पष्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8– इकाई को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियत्रण बोर्ड से विस्तार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

9– आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्यम में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10– इकाई को विनियमित क्षेत्र के नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

11– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा।

12– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्रोधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

13– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

14– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

16– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी। 3

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही एवं शासनादेश की शर्तों के अनुपालन की स्थिति से भी यथा समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

पृ0प0सं0–393/समदिनांकित 2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून
4– आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
5– निदेशक, काशीपुर इन्फ्रास्टक्चर एवं फ्रेट टर्मिनल प्रा0लि0, प्लॉट नं0– 2 बी, सेक्टर 126, नोएडा 201304, उत्तर प्रदेश।
6– निदेशक एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।